कार्यालय जिला पंचायत,कोरबा (छत्तीसगढ़)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ

विज्ञापन

क्रमांक/189/MGNREGA/स्थापना/2019-20/ कोरबा, दिनांक 19-02-2020

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. 807/पंग्राविवि/22/2019 रायपुर, दिनांक 05.03.2019 में दिये गये पद निरन्तरता आदेश के तहत् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला-कोरबा के अंतर्गत जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार संविदा (निश्चित वेतनमान) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 07/03/2020 को सायं 5.00 बजे तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किये जाते है:-

1. रिक्त पदों के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 01 में दर्शित है।
2. शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 02 में दर्शित है।
3. नियम एवं शर्तो के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 03 में दर्शित है।

परिशिष्ट – 01

क्र.	पद का नाम	संख्या	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसुचित जाति		अनुसुचित जनजाति	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	तकनीकी सहायक (बैकलॉग/रिक्त पद)	20	01	01	04	—	मुक्त–03, दिव्यांग–01	02	मुक्त–05, भू.पू.सै.–01,	02
	योग	**20**	**01**	**01**	**04**	—	**04**	**02**	**06**	**02**
2	लेखापाल (बैकलॉग/रिक्त पद)	01	—	—	—	—	—	—	01	—
	योग	**01**	—	—	—	—	—	—	**01**	—
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बैकलॉग/रिक्त पद)	10	04	—	01	—	01	01	मुक्त–02, दिव्यांग–01	—
	योग	**10**	**04**	—	**01**	—	**01**	**01**	**03**	—
4	सहायक ग्रेड 03 (बैकलॉग/रिक्त)	10	03	—	02	—	01	—	मुक्त–03, दिव्यांग–01	—
	योग	**10**	**03**	—	**02**	—	**01**	—	**04**	—
5	भृत्य (बैकलॉग/रिक्त)	02	भू.पू.सै.–01	—	—	—	—	—	01	—
	योग	**02**	**01**	—	—	—	—	—	**01**	—

परिशिष्ट – 02

क्र.	पद का नाम एवं वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	चयन का तरीका
1	तकनीकी सहायक **25780/–**	प्राथमिकता क्रम बी.ई./बी.टेक (सिविल ब्रान्च से) पॉलिटेकनीक डिप्लोमा (सिविल ब्रांच से)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 70 प्रतिशत अंक तथा कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 15 अंक तथा शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव पर प्रत्येक पूर्ण 06 माह के लिए 01 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक।
2	लेखापाल **18420/–**	55 प्रतिशत में बी.काम. (अ.ज.जा. एवं अ.जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी. काम.)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 50 प्रतिशत अंक तथा हायर सेकण्डरी में प्राप्त प्राप्तांकों का 20 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 15 अंक तथा शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्य अनुभव 1 से 2 वर्ष तक का 5 अंक 5 वर्ष तक का 10 अंक 5 वर्ष से अधिक पर 15 अंक।
3	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर **18420/–**	1.कक्षा 12 वीं, (10+2) बोर्ड उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं, बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2.डेटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग मे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा। 3.कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 20 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 65 अंक (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्य अनुभव 1 से 2 वर्ष तक का 5 अंक 5 वर्ष तक का 10 अंक 5 वर्ष से अधिक पर 15 अंक।

4	सहायक ग्रेड–03 14200/–	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठयकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी में 5000 (Key) की डिप्रेशन की प्रतिघण्टा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 40 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 45 अंक तथा शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव 1 से 2 वर्ष तक 5 अंक 5 वर्ष तक 10 अंक 5 वर्ष से अधिक पर 15 अंक।
5	भृत्य 11360/–	5 वीं पास	5 वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 65 प्रतिशत तथा हायर सेकण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 20 प्रतिशत तथा शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव 1 से 2 वर्ष तक 5 अंक 5 वर्ष तक 10 अंक 5 वर्ष से अधिक पर 15 अंक।

पदों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकती है ।

परिशिष्ट – 03

नियम व शर्ते

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, महात्मा गांधी नरेगा शाखा के नाम से दिनांक 07/03/2020 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गो के लिए समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2020 के आधार पर की जावेगी।
3. छ.ग. में प्रचलित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
5. आवेदक को छ.ग. राज्य के कोरबा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
6. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व–प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व–प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
7. दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी दावेदारी निरस्त मानी जावेगी।
8. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है अथवा महात्मा गांधी नरेगा जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों की स्वीकृति प्रत्येक वर्ष 01 मार्च से अगले वर्ष के 28 फरवरी तक वित्त विभाग से अनुमति उपरान्त पदों की निरन्तरता की स्वीकृति दिया जाता है, जो नियुक्ति आदेश में उल्लेखित रहेंगे एवं मनरेगा के नियमानुसार आदेश जारी किये जायेंगे।
9. संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन/उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा तदउपरान्त कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सुची तैयार किया जावेगा।
14. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरियता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं कमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को दो वर्ष के लिए वरियता कम सूची प्रतीक्षा सूची में रखी जावेंगी एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरियता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची राज्य कार्यालय से पद निरन्तरता आदेश की शर्त पर मान्य रहेंगे।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ती प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
16. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत या अन्य किसी पद से पृथक किया गया है, अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गई है, वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
17. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा। यदि आपके द्वारा आवेदन में संलग्न दस्तावेज भविष्य में गलत पाए जाते है तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा एवं आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

18. कार्यभार ग्रहण पश्चात 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
19. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
20. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
21. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
22. आवेदक जिनकी 02 से अधिक संतान है जिनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
23. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जिवित हो पात्र नहीं होंगे ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाए की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
24. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/ कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
25. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप संबंधित जिले के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट ***www.korba.gov.in*** से अवलोकन किया जा सकता है।
26. भर्ती प्रकिया के संबंध में पात्र/अपात्र/दावा आपत्ति सूची/समय सारणी एवं कौशल परीक्षा में बुलाए जाने की सूचना सह अन्य समस्त जानकारी कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट में दिनांक 16.03.2020 को प्रकाशित किये जाऐंगे, पृथक से किसी अभ्यर्थी को नहीं भेजे जाऐंगे।

19.2.2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम ....

स्व–प्रमाणित वर्तमान फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–................................, छत्तीसगढ़.

(1) आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) : ....

(2) पिता / पति का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) : ....

(3) लिंग : ....

(4) जन्म तिथि (अंको में) : ....

(शब्दों में) : ....

(5) दिनांक 01.01.2020 को आयु : वर्ष..............................माह..........................दिन..........................

(6) पत्र व्यवहार का पता : ....

....

....पिन. कोड..........................

(7) स्थायी पता : ....

....

....पिन. कोड..........................

(8) क्या आप छ.ग. के मूल निवासी है (हां / नहीं) : ....

(सक्षम प्रधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न)

(9) वर्ग (अजा / अजजा / अन्य पिछडा) : ....
(सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(10) क्या आप निःशक्त है ? : ....

(11) यदि हां तो निःशक्तता का प्रतिशत : ....

एवं निःशक्तता का प्रकार : ....

(12) (अस्थि / श्रवण / दृष्टि) (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र) : ....

(13) शैक्षणिक योग्यता :–

निम्नांकित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें :–

क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विषय / विषय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल						
2	हायर सेकेण्डरी						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र						
6	अन्य योग्यता						

(14) शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं मे कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव (प्रमाण पंत्र) संलग्न करें।

पद का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यरत अवधि	वेतनमान एवं संविदा वेतन	नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
		दिनांक .... से दिनांक .... तक कुल वर्ष .... माह		

(15) क्या आवेदक को पूर्व में अनियमितता के आधार पर पद से पृथक किया गया है अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नही की गयी है, यदि हाँ तो जानकारी देवें :...

....

(16) वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) : ....

- पति/पत्नि का नाम : ....
- पति/पत्नि की जन्म तिथि : ....
- विवाह की तिथि : ....
- बच्चों की संख्या : ....

1. नाम .... जन्म तिथि ....
2. नाम .... जन्म तिथि ....
3. नाम .... जन्म तिथि ....

(17) सहपत्र :– स्व–प्रमाणित पत्रों की सूची विवरण सहित (निम्नांकित क्रम में संलग्न किये जाये)

(1) हाई स्कूल	(2) हायर सेकेण्डरी
(3) स्नातक	(4) स्नातकोत्तर
(5) कम्प्युटर संबंधी प्रमाण पत्र	(6) अनुभव प्रमाण पत्र
(7) निशक्तता प्रमाण पत्र	(8) स्थायी जाति प्रमाण पत्र
(9) जाति सत्यापन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र	(10) मूल निवास प्रमाण पत्र
(11) अन्य योग्यता का प्रमाण पत्र	

आवेदक के हस्तांक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन (बायोडाटा) में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। मैं सहमति देता हूं कि किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन से वंचित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। मुझे .... के पद पर नियुक्ति की पात्रता है। जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने के सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :.. आवेदक का हस्तारक्षर

दिनांक:.. पूरा नामः ....